

Fee Paid Rs. 1000  
 Vide Application No. 8  
 Date 27/12/22

अनुसूची 21-प्रपत्र संख्या 113

संपत्ति-अवभार-प्रमाणपत्र

प्रमाण-पत्र सं० 16/2022 2021

आवेदन सं० 8/2022

चुंकि श्री महता प्रसाद ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नलिखित सम्पत्ति के निबंधित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति की प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही 1 में और उससे सम्बंध अनुक्रमणियों में ता० 5.10.2022 से ता० 31.12.2021 तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है :- 31.12.2021.

क्रम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेजों का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निर्देश		
				निष्पादन	दावेदार	जिल्द सं०	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आवेदन में वर्णित सम्पत्ति का विवरण						Deed No. :- 12462	Dated :- 10.1.81.2025	Ranchi :- Raucha
	Mouza :- <u>राजगी</u>							
	Thana No. :- <u>219</u>							
	Thana :- <u>नामगुहा</u>							
	Khata No. :- <u>1</u>							
	Plot No. :- <u>118 - 119</u>							
	Sub Plot No. :- <u>118/102 119</u>							
	Area Of Plot. :- <u>07.02 01.00 9225</u>							
	Dist :- Ranchi <u>08.0 3225</u>							

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) 1. बंधक - प्रमाण पत्र की दशा में लागू की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इनके बारे में उल्लेख हो।  
 2. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

Urbanscapes

Ashok Kumar Singh.  
 Partner

में यह भी प्रमाणीत करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवभारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभारों का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाणपत्र तैयार किया :-

(हस्ताक्षर) :- B K Singh.

(सदनाम) :- 5/1/2022

तलाशी का सत्यापन और प्रमाणपत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की

(सदनाम) :-

(हस्ताक्षर) :- 5/1/2022

कार्यालय :- अवर निबंधक कार्यालय राँची ग्रामीण, राँची।

तारीख :- 5/1/2022

Date..... 5/1/2022

टिप्पणी :-



निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर।

5/1/2022

- (1) इस प्रमाण में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति वितरण के अनुसार गये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये वितरण से भिन्न वितरण देकर किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसे दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (इन्जेक्शन्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।
- (2) निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रतिलिपियां देखना चाहते हो अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाणपत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके सामने रख दी जायगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाण पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी मुल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूँकि उसके द्वारा ढूँढे गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है और, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा, ना ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

झापांक 9

दिनांक 5/1/2022

महाराष्ट्र

का सम्पत्ति अवभार

प्रमाण पत्र शांति प्रबंधक ICICI Bank, Home Loan Branch.

को प्रेषित

Urbanscapes

Ashok Kumar Singh  
Partner

अवर निबंधक राँची  
ग्रामीण क्षेत्र, राँची

5/1/2022